न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/10/2020	20–01–2020	22–02–2021

1–बोबडराम पुत्र नाहर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम जैनपुर बास तहसील बहरोड जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमती मूर्ति पुत्री बदलिया पत्नि मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम धानोता तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ प्रान्त हरियाणा।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

––:: निर्णय ::––

दिनांक :– 22.02.2021

आज यह पत्रावली हमारे पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। प्रतिवादी व उनके वकील को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा हुआ देखा। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण धर्मचन्द बनाम जगन को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल करने में असल अप्रार्थी को कोई ऐतराज किसी प्रकार का नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। प्रार्थी का हितबद्व व्यक्ति है उसके द्वारा शपथ पर किये गये कथन परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होते है। मात्र कायस के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षाकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड में दुरूपयोग को बढावा नही मिलना चाहिए। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 9.02.21 को जारी निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर